

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2021—फाल्गुन 7, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जनवरी 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, भा.प्र.से. (2003), संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री गोविंद राम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जनवरी 2021

क्रमांक/241/एफ-03/24/विविध/2020/14-2.—राज्य शासन एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि कुसुम, पलाश, बेर आदि वृक्षों तथा सेमियालता आदि फसलों पर लाख उत्पादन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु कृषकों/कृषक समूह को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण निर्धारित ऋणमान पर प्रदान किया जावेगा.

2. लाख उत्पादन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु कृषक/कृषक समूह को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण पर नियमानुसार ब्याज अनुदान देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जनवरी 2021

क्रमांक-एफ 7-13/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2018 द्वारा जिला बलौदाबाजार-भाठापारा के गठित हथबन्द निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम लावर, डोंगरिया, मोहभट्टा, रिंगनी, केसदा एवं नेवधा को शामिल करते हुए पुनर्गठित हथबन्द निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो में निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

हथबन्द निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— लावर, डोंगरिया, मोहभट्टा, रिंगनी, केसदा एवं नेवधा.

अनुसूची-दो

हथबन्द निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मोहभट्टा, लावर एवं डोंगरिया की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम डोंगरिया, रिंगनी एवं केसदा की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम केसदा, नेवधा एवं उड़ेला की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बड़ेला, धोध एवं मोहभट्टा की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6260/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	सेंकर	11.13/4.501	रैन कोटा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई दिनांक 22-1-2021 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, तेन्दूभाठा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रैन कोटा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	32
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां-उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1127.79 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मिस्टर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/140/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ/82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	जामपाली प.ह.नं. 12	1.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सुखा नाला व्यपवर्तन बण्ड लाईन एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/141/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ/82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	जामपाली प.ह.नं. 12	4.92	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सुखा नाला व्यपवर्तन बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/142/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03/अ/82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	रामपुर प.ह.नं. 12	2.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	डूमरपाली व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/143/20/अ/82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	रूढ़ा प.ह.नं. 47	5.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	बोईरमाल व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/144/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04/अ/82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	तेलीबांधा प.ह.नं. 13	0.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	डूमरपाली व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/145/16/अ/82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	खम्हारपाली प.ह.नं. 35	1.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	बोईरमाल व्यपवर्तन योजना के मुख्य एवं शाखा नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2020

क्रमांक/146/अ.वि.अ./भू-अर्जन/07/अ/82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	रूमेकेल प.ह.नं. 06	2.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना नहर कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 17 नवम्बर 2020

क्रमांक/147/16/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	बटकी प.ह.नं. 46	1.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	बोईरमाल व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 17 नवम्बर 2020

क्रमांक/148/19/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	आकाशखार प.ह.नं. 47	3.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	बोईरमाल व्यपवर्तन योजना के मुख्य एवं शाखा नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/34/क./अविअ./भू.अ./07/अ-82 वर्ष 19-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	कालीदरहा प.ह.नं. 51	0.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	कटंगीनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/36/क./अविअ./भू.अ./17/अ-82 वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	चण्डीभौना प.ह.नं. 09	1.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	अमरकोट व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/38/क./अविअ./भू.अ./09/अ-82 वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	दर्भाठा प.ह.नं. 05	4.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दर्भाठा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/40/क./अविअ./भू.अ./13/अ-82 वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	डोंगरीपाली प.ह.नं. 40	0.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दीवानपाली व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/42/क./अविअ./भू.अ./06/अ-82 वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	जोगीडीपा प.ह.नं. 02	4.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	अमरकोट व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/44/क./अविअ./भू.अ./11/अ-82 वर्ष 19-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	कनपला प.ह.नं. 26	1.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	कनपला व्यपवर्तन योजना के दांयी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/46/क./अ.वि.अ./भू.अ./01/अ-82 वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	कराभौना प.ह.नं. 20	1.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	गौरटेक व्यपवर्तन योजना के बांधपार एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/47/क./अविअ./भू.अ./01/अ-82 वर्ष 2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	पड़कीपाली प.ह.नं. 50	1.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	बेन्द्रीनाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/49/क./अविअ./भू.अ./10/अ-82 वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	नवागढ़ प.ह.नं. 05	0.91	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दर्राभांठा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/51/क./अविअ./भू.अ./12/अ-82 वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	चारभांठा प.ह.नं. 42	0.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	घुराऊ जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/53/क./अविअ./भू.अ./08/अ-82 वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	सिरपुर प.ह.नं. 26	1.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	कनपला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/55/क./अविअ./भू.अ./05/अ-82 वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	काकेनचुवां प.ह.नं. 03	0.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	अमरकोट, व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक/58/क./अविअ./भू.अ./14/अ-82 वर्ष 19-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	गेर्वा प.ह.नं. 51	0.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	कटंगीनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डोमन सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 जनवरी 2021

प्र. क्रमांक/390/10/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कैथा, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
62/1	0.016
62/2	0.032
62/3	0.032
62/4	0.032
योग	04
	0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरघटा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2430-A/13/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70/2	0.005
152	0.005
440	0.018
441	0.007
442	0.013
443	0.013
447	0.020
478	0.025
449	0.008
450	0.036
457	0.010
467	0.002
470	0.004
472	0.006
474	0.018
475	0.006
479	0.010
480	0.012

(1)	(2)
481	0.024
484	0.008
486/1	0.004
504	0.002
योग	22 0.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुरा-राजिम व्हाया तरीघाट मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2431/14/अ-82/वर्ष 2018-19.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-बोईरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.106 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334	0.009
329/2	0.003
329/4	0.009
328/1	0.006
282	0.020
310	0.002
280	0.024
278	0.013

(1)	(2)
200	0.003
202	0.008
201	0.003
207	0.003
208/2	0.003
योग	13 0.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुरा-राजिम व्हाया तरीघाट मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2434/12/अ-82/वर्ष 2018-19.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरछेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28	0.009
33	0.052
444	0.018
446	0.018
449	0.019
457	0.035

(1)	(2)
458/1	0.042
योग	7
	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाण्डुका-जतमई-घटारानी-गायडबरी-मड़ेली-मुड़ागांव मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2020

क्रमांक 01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-डोड़की
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231/4	0.129
231/5	0.040
231/9	0.126

(1)	(2)
231/19	0.049
योग	4
	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मिस्त्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 19 जनवरी 2021

क्रमांक/08/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
995	0.17
1023	0.08
1022/1	0.07
967/1	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1022/2	0.07	347	0.02
1000/2	0.13	727/1	0.04
1000/3	0.13	360/1	0.18
1001	0.05	342	0.02
1002/1	0.06	296	0.02
1003	0.08	361	0.02
1004	0.10	360/2	0.01
963	0.18	286	0.04
962/1	0.01	726/2	0.05
966/2	0.05	349	0.01
967/3	0.04	726/1	0.09
962/2	0.02	746	0.08
968/1	0.05	737	0.07
968/2	0.01	741/1	0.06
969/1	0.01	741/2	0.03
969/2	0.04	743/1	0.14
960/2	0.11	381	0.01
959	0.10	282/2	0.06
956	0.05	382/8	0.05
957/2	0.04	377	0.08
955/2	0.01	378	0.03
955/3	0.01	379	0.03
927	0.01	383	0.03
922	0.20	362	0.05
918	0.02	364	0.11
903	0.06	341	0.01
904/1	0.08	346	0.02
904/2	0.02	343	0.02
902/2	0.15	344	0.02
900/3	0.04	337/2	0.02
901	0.02	337/1	0.01
822	0.07	287/2	0.08
762	0.16	287/1	0.03
823/1028	0.06	285	0.03
761	0.08	292	0.05
348	0.02	293/4	0.07
759/3	0.03	272	0.09
274	0.04	297	0.25
760/2	0.01	261	0.20
724/1	0.20	260	0.32
724/2	0.15	204	0.20
724/3	0.20	264/3	0.05
682/1	0.01	205/3	0.10
727/2	0.01		

(1)	(2)	(1)	(2)
205/4	0.02	1015/3	0.058
		1199	0.004
योग	92	1206	0.004
		1271/3	0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर व्यपवर्तन योजना के बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.		1257/1	0.038
		1094/5	0.014
		973/2	0.034
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुन्द छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.		1007/2	0.024
		1010	0.038
		1016/1	0.024
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डोमन सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		1197	0.043
		1268/2	0.004
		1259/1	0.058
		1257/2	0.023
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		970/2	0.031
		974/1720	0.115
		1121	0.106
		1015/2	0.048
		1020/5	0.024
सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2020		1198	0.022
		1263/1	0.024
क्रमांक-01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		1284/4	0.020
		1285/2	0.010
		973/1	0.048
		1123	0.058
		1007/1	0.130
		1012/1	0.062
		1183	0.048
		1191	0.020
		1263/2	0.034
		1280	0.096
		1287	0.040
		970/3	0.029
		1005	0.060
(1) भूमि का वर्णन—		1007/4	0.029
(क) जिला-सरगुजा		1013	0.058
(ख) तहसील-अम्बिकापुर		1094/4	0.043
(ग) नगर/ग्राम-पोंड़ीकला		1260	0.032
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.585 हेक्टेयर		1263/3	0.052
खसरा नम्बर	रकबा	1256/1	0.020
	(हेक्टेयर में)	1289	0.120
(1)	(2)	1094/2	0.014
		1208	0.054
970/1	0.043	1011	0.029
975	0.096	1015/1	0.082
978	0.048	1179	0.064
1008/1	0.034		

(1)	(2)	(1)	(2)
1200	0.036	1374/3	0.008
1271/4	0.028	1377/1	0.032
1271/5	0.014	1380	0.049
1094	0.034	1392/4	0.036
971	0.091	1280/2	0.116
977	0.062	1328	0.020
1007/3	0.024	1323	0.016
1094/3	0.014	1287	0.113
1192/1	0.022	1284/1	0.049
1203	0.008	977	0.032
1192/2	0.012	1278/7	0.020
1257/3	0.023	1776	0.057
योग	2.585	1372/1	0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लैगू व्यपवर्तन योजना के बाईं तट नहर हेतु.		1376/5	0.016
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		1377/2	0.012
सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2020		1424	0.020
क्रमांक-02/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		1387/1	0.032
अनुसूची		1325/2	0.008
(1) भूमि का वर्णन-		1442/4	0.041
(क) जिला-सरगुजा		1280/1	0.093
(ख) तहसील-अम्बिकापुर		974	0.008
(ग) नगर/ग्राम-कराँ		1299/1	0.032
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.703 हेक्टेयर		997	0.053
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	1336	0.036
(1)	(2)	1369/1	0.101
1775	0.061	1375/3	0.016
1373	0.141	1374/1	0.036
		1378/1	0.057
		1383	0.069
		1432	0.012
		1434	0.133
		1340	0.032
		1325/1	0.004
		1286/1	0.016
		1299/3	0.024
		1372/2	0.045
		1772	0.032
		1374/5	0.041
		1376/2	0.049
		1378/2	0.004
		1389	0.020
		1387/2	0.016
		1427	0.008
		1339	0.036
		1294/1	0.024
		1286/2	0.024
		1299/2	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
1771/2	0.024	1278/3	0.032
1369/2	0.036	1370	0.041
1374/2	0.053	1769	0.012
1376/8	0.016	1376/6	0.004
1421/2	0.073	1379	0.073
1390	0.053	1397	0.081
1391	0.125	1433	0.012
1438/3	0.169	1441	0.004
1335	0.137	1322/2	0.181
1289	0.049	1288/3	0.036
1300/4	0.004	1290/1	0.004
999	0.032	973	0.028
1278/2	0.036	1278/6	0.024
1771/3	0.053		
1376/3	0.024	योग	3.703
1376/4	0.032		
1301	0.012	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरिमा लैगू	
1385	0.093	व्यपवर्तन योजना के बाईं तट नहर निर्माण हेतु.	
1425	0.053		
1438/2	0.032	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
1324	0.024	(राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1288/2	0.032		
1286/3	0.004	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
976	0.020	संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्रमांक 216/स्थापना/रा.मं./2021.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2 दिनांक 02-01-2021 द्वारा श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, भा.प्र.से. (2003) सदस्य, राजस्व मण्डल का स्थानांतरण आयुक्त, रायपुर एवं दुर्ग संभाग के पद पर होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 6-1-2021 को सदस्य, राजस्व मण्डल के पद से भारमुक्त किया जाता है.

हस्ता./-
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th December 2020

No. 135 (Mis.)/I-7-3/2021(Pt.-II).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Holidays for the Courts Subordinate to the High Court of Chhattisgarh for the Year 2021 :—

S. No.	Name of Holiday	No. of Days	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Republic Day	1	26-01-2021	Tuesday
2.	Mahashivratri	1	11-03-2021	Thursday
3.	Holi	1	29-03-2021	Monday
4.	Good Friday	1	02-04-2021	Friday
5.	Dr. Ambedkar Jayanti	1	14-04-2021	Wednesday
6.	Ram Navami	1	21-04-2021	Wednesday
7.	Id-Ul-Fitr	1	14-05-2021	Friday
8.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	21-07-2021	Wednesday
9.	Muharram	1	19-08-2021	Thursday
10.	Janamashtami	1	30-08-2021	Monday
11.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2021	Saturday
12.	Dashera Holiday	3	13- 10-2021 to 15-10-2021	Wednesday to Friday
13.	Milad-Un-Nabi	1	19-10-2021	Tuesday
14.	Deepawali Holidays	4	03-11-2021 to 06-11-2021	Wednesday to Saturday
15.	Gurunanak Jayanti	1	19-11-2021	Friday
16.	Christmas	1	25-12-2021	Saturday

NOTES :—

1. All the Sundays are declared holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Summer Vacation & Winter Holidays.
2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.
3. Independence Day, Mahavir Jayanti, Rakshabandhan fall on Sunday and Guru Ghasidas Jayanti falls on closed Saturday, therefore, no holiday is declared separately.

4. The Judicial Officer of Subordinate Courts shall be entitled to avail vacation for a period of maximum 15 days in a year during the Summer Vacation from 17-05-2021 to 11-06-2021 and Winter Holidays from 27-12-2021 to 31-12-2021.
5. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-UI-Fitr, Id-UI-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. if the State Government declares any change in these dates through. TV/AIR/Newspaper, the same will be followed & that day will also be observed as holiday with the approval of Hon'ble the Chief Justice.
6. The officers and employees of Subordinate Courts shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2021.
7. The Subordinate Courts shall observe the Local Holidays as declared by the Competent Authority in respective Revenue Districts on account of local festival of the Districts.
8. Subordinate Courts shall observe the holidays declared suddenly by the State Govt. with the approval of Hon'ble the Chief Justice.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

Bilaspur the 11th January 2021

No. 14/Confdl./2021/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 417/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II) dated 30-03-2017 and 1162/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II) dated 02-11-2017, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Smt. Sunita Toppo	01-10-2020
2.	Shri Purushottam Singh Markam	16-11-2020
3.	Shri Deepak Kumar Deshlhre	05-01-2021

Bilaspur the 11th January 2021

No. 16/Confdl./2021/II-3-2/2002 (Part-III).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 208/Confdl./2020/II-3-2/2002 (Part-III) dated 20-02-2020, are hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Smt. Smita Shrivastava Sinha	01-10-2020
2.	Shri Lokesh Patle	16-11-2020

Bilaspur the 12th January 2021

No. 25/Confdl./2021/II-2-99/2001 (Pt.-III).—On the basis of application dated 27-09-2019 of Shri Omprakash Singh Chauhan, Member of Higher Judicial Service, presently posted as Judge, Family Court, Raigarh (C.G.) requesting for change of his home district, permission is hereby accorded to change his home district as “Jabalpur” instead of “Gwalior” in his service records. It is directed that necessary changes be affected in all his records. It is further directed that he shall not be entitled to change his home district again in future.

Bilaspur the 21th January 2021

No. 33/Confdl./2021/II-2-2/2002 (Pt.-III).—The following District Judge (Selection Grade), as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, appointed to the category of District Judge (Super Time Scale) in the Pay-scale of Rs. 182200-224100 from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer with designation	Date of appointment to the category of District Judge (Super Time Scale)
(1)	(2)	(3)
(a)	Shri Jagdamba Rai, District and Sessions Judge, Janjgir-Champa	19-01-2021
(b)	Shri Arvind Kumar Verma, District and Sessions Judge, Bilaspur	19-01-2021
(c)	Shri Onkar Prasad Gupta, District and Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur).	19-01-2021
(d)	Shri Santosh Sharma, Registrar (Selection & Appointment), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	19-01-2021
(e)	Shri Rajesh Kumar Shrivastava, District and Sessions Judge, Durg	19-01-2021
(f)	Smt. Sushma Sawant, District and Sessions Judge, Mahasamund	19-01-2021
(g)	Shri Sudhir Kumar, District and Sessions Judge, Dhamtari	19-01-2021
(h)	Shri Doctorlal Katakwar, District and Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker)	19-01-2021
(i)	Shri Ramashankar, Prasad, District and Sessions Judge, Raigarh	19-01-2021
(j)	Shri Rajnish Shrivastava, District and Sessions Judge, Baloda-Bazar	19-01-2021
(k)	Shri Balram Prasad Verma, District and Sessions Judge, Surguja (Ambikapur)	19-01-2021
(l)	Shri Vijay Kumar Ekka, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Jagdalpur.	19-01-2021
(m)	Shri Anand Kumar Singhal, District and Sessions Judge, Bemetara	19-01-2021
(n)	Shri Hemant Saraf, District and Sessions Judge, Surajpur	19-01-2021
(o)	Shri Rakesh Bihari Ghore, District and Sessions Judge, Korba	19-01-2021
(p)	Shri Ashok Kumar Lunia, District and Sessions Judge, Balrampur at Ramanujganj.	19-01-2021

Bilaspur the 21th January 2021

No. 36/Confdl./2021/II-2-1/2021.—Shri Pankaj Kumar Sinha, Member of Higher Judicial Service, Presently posted as Additional District & Sessions Judge, Bemetara, is hereby, assigned the additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bemetara from the date he assumes charge of his office, until further orders.

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2020

क्रमांक 187/दो-3-18/2018.—श्री यशवंत वासनीकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 12-10-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी 2021

क्रमांक 10/दो-3-26/2014.—श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-12-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी 2021

क्रमांक 11/दो-2-18/2016.—श्री संतोष कुमार तिवारी, एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक) उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-12-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी 2021

क्रमांक 12/दो-2-32/2015.—श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-12-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.